उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे०आ०–सा०नि०)अनुभाग–7
संख्या–100/xxvii(7)/2009
देहरादून::दिनांक:31 मार्च,2009

शुद्धि–पत्र

शासनादेश संख्या–78/xxvii(7)/2009 दिनांक 1 मार्च,2009 के द्वारा वेतन समिति–2008 की संस्तुतियों पर लिये गये शासन के निर्णय के अनुसार यात्रा भत्ता की दरों में संशोधन किया गया था उक्त शासनदेश के प्रस्तर–5(क) के द्वितीय पैरा में टंकण त्रुटि के कारण 30 पैसे प्रति कुंतल के बजाय 30 पैसे प्रति किलोग्राम अंकित हो गया था अतः प्रस्तर–5(क) को निम्नानुसार पढ़ा जाय।

"स्थानान्तरण पर सरकारी सेवक सामान्यतः अपने घरेलू सामान की ढुलाई सड़क मार्ग से ट्रक द्वारा करते हैं। प्रदेश के एक बड़े भू–भाग में रेल सेवायें उपलब्ध भी नहीं है । इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सड़क मार्ग से घरेलू सामान की ढुलाई हेतु 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति कुंतल की दर से अनुमन्य होगा।"

शासनादेश संख्या–78/xxvii(7)/2009 दिनांक 1 मार्च,2009 को केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय तथा इसकी अन्य समस्त शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय

(टी०एन०सिंह)
अपर सचिव।

संख्याः (1)xxvii(7)/2009 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड ओबेराय भवन,माजरा,देहरादून ।
2. सचिव,मा० राज्यपाल,उत्तराखण्ड देहरादून ।
3. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड देहरादून
4. रजिस्ट्रार जनरल,उच्च न्यायालय, नैनीताल उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
7. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. निदेशक,एन०आई०सी० ।
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आर०सी०शर्मा)
संयुक्त सचिव।